उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

राज्य निर्वाचन आयोग परिसर, रिंग रोड लाडपुर देहरादून,उत्तराखण्ड

वेबसाइट–www.sssc.uk.gov.in E-mail: chayanayog@gmail.com

पत्रांक संख्या– 03 /विज्ञप्ति/2016–17 दिनांक 07 मई, 2016

अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा समूह 'ग' के अर्न्तगत "ग्राम पंचायत विकास अधिकारी" के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञप्ति संख्या 03/उअसेचआ/2015 दिनांक 20 नवम्बर, 2015 प्रकाशित कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। लिखित परीक्षा में अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों को उनके अभिलेख सत्यापन/मिलान हेतु जनपदवार निम्नांकित तिथियों में आमंत्रित किया जाता है:–

क्र0सं0	आवेदित/चयनित जनपद	अभिलेख सत्यापन का दिनांक	समय
1	अल्मोड़ा	16 मई, 2016	प्रातः 10:00 बजे से सांय 04:00 बजे तक
	बागेश्वर		
	चमोली		
2	पिथौरागढ़	17 मई, 2016	
	चम्पावत		
	नैनीताल		
	देहरादून		
3	रूद्रप्रयाग	18 मई, 2016	
	टिहरी गढ़वाल		
	उत्तरकाशी		
	हरिद्वार		
4	पौड़ी गढ़वाल	19 मई, 2016	

उपरोक्तानुसार अभिलेख सत्यापन हेतु समस्त सफल अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तिथियों एवं समय पर निम्नांकित अभिलेखों के साथ उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

1. उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई निवास प्रमाण–पत्र मूल रूप में।
2. उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी सेवायोजन कार्यालय में वैध पंजीकरण प्रमाण–पत्र की मूल प्रति जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि को वैध हो/तक जारी किया गया है।
3. सेवारत अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष के द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र मूल रूप में।
4. आरक्षण से सम्बन्धित समस्त निर्धारित प्रमाण–पत्र मूल रूप में(यदि लागू हो)।
5. **पदनाम–ग्राम पंचायत विकास अधिकारी** की विज्ञप्ति हेतु वांछित समस्त शैक्षिक प्रमाण–पत्रों, अंकतालिकाओं व उपाधियों की मूल प्रतियां। समस्त प्रमाण–पत्र, अंकतालिकाएं व उपाधियां विज्ञापन जारी होने की तिथि 20/11/2015 से पूर्व सम्बन्धित संस्था (बोर्ड/विश्वविद्यालय) द्वारा जारी की गई हो।
6. अधिमानी अर्हता संबंधी अभिलेख मूल रूप में (यदि लागू हो)।
7. लिखित परीक्षा का प्रवेश पत्र।
8. पासपोर्ट आकार के 4 सत्यापित रंगीन फोटोग्राफ।

उपर्युक्त अभिलेख मूल रूप में सत्यापन हेतु प्रस्तुत करने होंगे, साथ ही प्रत्येक अभिलेख की दो–दो स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियाँ भी आयोग कार्यालय में उपलब्ध करनी होंगी। समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि नियत तिथि एवं समय पर अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि के पश्चात कोई विचार नहीं किया जायेगा।

सचिव।